ISSN 0973-8541, HUMANITIES AND DEVELOPMENT, VOL.20, No.3, July-Sept., 2025/34

''महिला सशक्तिकरण में संविधान एवं शिक्षा की भूमिका''

कुमारी स्मिता सिन्हा,
sinhasmita111@gmail.com
https://doi.org/10.61410/had.v20i3.249

शोध–सार

वर्तमान आधुनिक भारतीय सामाज के समग्र विकास में संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जब महिलाऐं शिक्षित, आत्मनिर्भर एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्षम होती हैं तभी समाज में समानता, न्याय और प्रगति का मार्ग प्रशक्त होता है। वास्तविक भारत के निर्माण में महिलाओं की भूमिका पुरुषों से कम नहीं है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में संविधान और शिक्षा दोनों का अतुलनीय प्रयास रहा है। संविधान में भारत के नागरिकों (महिला एवं पुरुष) के लिए मूल अधिकारों के अतिरिक्त समानता, स्वतंत्रता और न्याय की गारण्टी दी गयी है।[1] संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के द्वारा उन समानताओं को दूर करने का प्रयास किया गया है जिससे महिलाऐं पीड़ित थी।[2] भारतीय संविधान के माध्यम से ही समाज के सभी वर्गों के साथ–साथ महिलाओं की शिक्षा का पूर्ण अधिकार प्राप्त हो सका है।

शब्द संकेत – संविधान, मूल अधिकार, सर्वांगीण विकास, भेदभाव, सशक्तिकरण, पुनगर्ठित, असमानता, ज्ञान, कुरीतियाँ, शोषण, निर्रकुशता।

शोध–पत्र

भारत सरकार के प्रयास से वर्ष 2001 को 'महिला सशक्तिकरण' वर्ष के रूप में घोषित किया गया। महिलाओं के लिए नई राष्ट्रीय नीति द्वारा महिलाओं के सर्वागीण विकास और सशक्तिकरण का प्रयास किया गया। सशक्तिकरण के माध्यम से ही महिलाओं की मुक्ति सम्भव है। वास्तव में भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्रता के पश्चात् से ही समाज में व्याप्त असमानता, छुआछूत, भेदभाव को समाप्त करने के साथ–साथ महिलाओं को भी जोड़कर देखा गया। संविधान और सरकार ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि ''राज्य व्यक्तियों के बीच में किसी भी प्रकार के भेदभाव को चाहे वह जातिगत हो, वर्गगत हो, धर्मगत हो, पुरुषों में हो, महिलाओं में हो, भेदभाव नहीं करता है।[3]

भारतीय सामाजिक संरचना में पुरुष और स्त्री के असमानता और भेदभाव की स्थिति प्राचीन काल में बनायी गयी व्यवस्था का परिणाम थी, जिसमें घर की चाहर दिवारी तक सीमित होना, पुरुषों पर पूर्णरूप से निर्भरता इत्यादि, प्राचीन सामाजिक व्यवस्था में पुरुषवादी निरंकुश आधिपत्य की अवधारणा का घोतक कहा जा सकता है। जिसमें एक समाज में जन्में पुरुषों के साथ महिलाओं की स्वयं के प्रति समानता की गुहार लगाना था। महिलाओं के लिए पुरुषों के समान प्रस्थिति और समाज के सभी सदस्यों के समान सम्मानित जीवन हेतु संघर्ष में महिला संगठनों, महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ राजनीतिज्ञों ने भी समाज में समानता के लिए चेतना जागृत करने का प्रयास किया था।[4]

- **गया, बिहार**

महिला सशक्तिकरण में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। कहा जाता है कि 'स विद्या या विमुक्तये,' इसी कसौटी पर आज की शिक्षा प्रणाली और पुर्नगर्ठित करने की आवश्यकता है। नई शिक्षा प्रणाली को हुनर–शिक्षा और आर्थिक उत्पादनशीलता अर्थात् आत्मनिर्भर प्रणाली के लिए अभिमुख होना पड़ेगा। वर्तमान शिक्षा ऐसी हो जिसमें चरित्र–निर्माण हो। जहाँ ईमानदारी, कार्यकुशलता, न्याय परायणता और देश प्रेम जैसे मूल्यों को तेजस्वी तथा प्रखर बनाया जाय तथा ज्ञान की लालसा एवं देश भ्रमण की उत्सुकता भी उत्पन्न हो। इस प्रकार की शिक्षा सहजता के साथ उपलब्ध हो यहीं वर्तमान परिवेश की प्रमुख आवश्यकता है।[5]

स्वतंत्रता के पश्चात् सबसे महत्वपूर्ण पहल महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु उठाया गया, डॉ0 राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग युनिवर्सिटी एजूकेशन कमीशन का गठन किया गया। इस आयोग ने महिलाओं की शिक्षा और उसके विविध आयामों की चर्चा की है। इस प्रकार आयोग के सभी पुरुष सदस्यों का विचार महिलाओं की भूमिका के सन्दर्भ में जो पूर्व में थे, यह विचार परिवर्तित है। इस प्रकार आयोग यह विश्वास करता है कि एक सुव्यवस्थित परिवार, सुव्यवस्थित पुरुष को बनाने में सहायता करता है।'' माता जो परिवार के सदस्यों की निगरानी करती है, उसके प्रति सचेत रहती है। साहित्य और इतिहास जैसे विषयों के साथ अतरंग होती हैं और उनकी पूरी जानकारी रखती हैं तथा अपने बच्चों और परिवार के लिए जीवित रहती व काम करती, ऐसी स्त्री संसार में चरित्र और बुद्धिमानी दोनों ही श्रेष्ठ शिक्षक हो सकती है।''

आयोग ने यह भी उल्लेख किया है कि शिक्षित महिला के बिना शिक्षित समाज सम्भव नहीं है। इसलिए महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए। परन्तु आयोग का यह भी विचार था कि शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य अगली पीढ़ी तक परम्पराओं को हस्तान्तरित भी किया जाय। अतः महिलाओं के लिए स्त्रियोंचित गुणों के समान ही शिक्षा को विस्तारित किया जाना चाहिए। आयोग ने यह भी अनुभव किया कि महिलाओं को उच्च शिक्षा देना, भविष्य में उनको गृह–निर्माता के रूप में तैयार करने में बाधा भी डाल सकती है और यहीं कौशल उन्हें सीखने की आवश्यकता है न कि स्कूल का व्यर्थ अनुभव आयोग का यह भी विचार था कि महिलाओं के संसार को केवल एक सम्बन्ध तक सीमित नहीं किया जा सकता है। उन्हें ''सभी स्तरों पर शिक्षा व्यवस्था हेतु महिलाओं और पुरुषों को विभिन्न चुनौतियों हेतु तैयार किया जा सके।[6]

स्वतंत्रता से पूर्व भारत में महिलाओं की शैक्षिक प्रस्थिति अत्यन्त दयनीय थी। समाज में व्याप्त रुढिवादी विचारों, पर्दा–प्रथा और बाल विवाह जैसी सामाजक कुरीतियों के कारण महिलाऐं शिक्षा से वंचित रहीं। स्वतंत्रता पश्चात् भारत के संविधान ने समाज के सभी नागरिकों को समान शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। शिक्षा का अधिकार प्राप्त होने के बाद महिलाओ की साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 1951 में महिलाओं की साक्षरता दर मात्र 8.86 प्रतिशत थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 65.49 प्रतिशत हो गयी। शिक्षा की दृष्टि से इसे प्रगति का सूचक माना जा सकता है किन्तु पुरुषों की साक्षरता दर 82.14 प्रतिशत से अवश्य पीछे है।

शिक्षा मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार है। शिक्षा के आधार पर व्यक्ति में परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप ढलने की शक्ति तथा लचीलापन उत्पन्न होता है। शिक्षा समाज में व्यापक और सूक्ष्म आर्थिक परिवर्तनों का प्रभावशाली माध्यम है। विशेषकर शक्तिशाली लोकतंत्र में राष्ट्रीय

एकता, सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन तथा न्याय संगत समाज की स्थापना के लिए शिक्षा का प्रसार आवश्यक कदम कहा जा सकता है। राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया में समुचित योगदान के लिए प्रत्येक नागरिक का शिक्षित होना अनिवार्य है। महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता और उत्तरदायित्व की भावना के लिए भी शिक्षा की समाज में अति आवश्यकता है।[7]

भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को निम्न आधार पर विभक्त किया गया है जिसमें –

1. समानता का अधिकार
2. स्वतंत्रता का अधिकार
3. उत्पीड़न के विरूद्ध अधिकार
4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
5. सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार
6. सम्पत्ति का अधिकार
7. संवैधानिक उपचारों का अधिकार।

भारतीय संविधान ने महिलाओं को समानता, सुरक्षा और सम्मान दिलाने के लिए अनेकों अधिकार प्रदान किये हैं। इन अधिकारों का उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों के साथ शैक्षिक रूप से भी सशक्त बनाने का प्रयास किया है। अनुच्छेद–14 से 18 तक समानता का अधिकार है जिसमें अनुच्छेद 14–सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण का अधिकार देता है। अनुच्छेद–15(1) धर्म जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव निषिद्ध है। अनुच्छेद–15(3) महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्राविधान बनाने की अनुमति देता है। अनुच्छेद–16 रोजगार और पदों के समान अवसर की गारण्टी देता है।

शोषण के विरूद्ध अधिकार को अनुच्छे 23 और 25 में विभाजित किया गया है। अनुच्छेद 23– मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी और महिलाओं के शोषण पर प्रतिबन्ध लगाता है। अनुच्छेद 24–14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्यों पर लगाने पर रोक है। (यह परोक्ष रूप से महिलाओं की सुरक्षा को भी सुदृढ़ करता है)।

संवैधानिक उपचार का अधिकार –अनुच्छेद 32 में लिखित है कि यदि महिलाओं के अधिकारों का हनन होता है तो वे न्यायालय में जाकर अपने अधिकारों की रक्षा कर सकती है।

निदेशक सिद्धान्तों में महिलाओं के हित –

अनुच्छेद 39(a) पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान आजीविका का अधिकार।

अनुच्छेद 39(d) समान कार्य के लिए, समान वेतन का प्रावधान।

अनुच्छेद 42 – प्रसूति लाभ और कार्यस्थितियों में सुधार का प्रावधान।

अनुच्छेद 51A(e) प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह महिलाओं की गरिमा और सम्मान की रक्षा करें।

73वाँ एवं 74वाँ संविधान संशोधन 1992 – ग्राम पंचायतों एवं नगर निकायों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

अतः भारतीय संविधान ने महिलाओं को समानता, स्वतंत्रता और सम्मान का पूरा अधिकार प्रदान किया गया है। इन अधिकारों के माध्यम से महिलाओं की स्थिति में सुधार, सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता में वृद्धि की गयी है। शिक्षा व्यक्ति में प्रतिबद्धता और सामाजिकता को विकसित करती है। शिक्षा की प्रतिबद्धता, सद्जीवन के साथ–साथ अच्छे समाज, राष्ट्र तथा मानवता के लिए भी है। यदि शिक्षा में प्रतिबद्धता नहीं होगी तो वह मूल्यों का संरक्षण नहीं कर सकेगी। राष्ट्रीय हितों और मानवता का संवर्द्धन नहीं कर सकगी। स्वतंत्र भारत में यदि शिक्षा को प्रजातांत्रिक मूल्यों के प्रति आस्था विकसित करनी है तो उसे प्रतिबद्ध होना होगा। इसी प्रकार समाज सेवा और सामाजिकता के भाव को भी विकसित करने में शिक्षा की अहम भूमिका होती है। शिक्षा यदि जीवन में सामाजिक पैदा नहीं करती तो अपनी उसकी कोई सामाजिक उपयोगिता नहीं होगी। भारतीय समाज में महिलाऐं शिक्षा के इस महत्व को बड़े ही बेहतर तरीके से निवर्हन कर रही हैं। भारत सरकार भी बेटी बचाओं और बेटी पढ़ाओं के माध्यम से महिलाओं को शिक्षा के द्वारा सशक्त करने का प्रयास कर रही है।

संदर्भ–सूची :

1. शर्मा, के0एल0 ; भारतीय सामाजिक संरचना एवं परिवर्तन, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, पृ0–39
2. देसाई, नीरा एवं ठक्कर , ऊषा ; भारतीय समाज में महिलाऐं, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत, नई दिल्ली, पृ0–13
3. पाण्डेय, करूणा ; जाति वर्ग और महिला : भेदभावों की नई दिशा, नेशनल पब्लिशिंग हाउस जयपुर, पृ0–16
4. शर्मा, के0एल0 ; भारतीय सामाजिक संरचना एवं परिवर्तन, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, पृ0–199
5. वर्मा, सवालिया बिहारी एवं अन्य ; महिला जागृति और सशक्तिकरण, आविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स जयपुर, पृ0–264
6. देसाई, नीरा एवं ठक्कर , ऊषा ; भारतीय समाज में महिलाऐं, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत, नई दिल्ली, पृ0–42
7. वर्मा, सवालिया बिहारी एवं अन्य ; महिला जागृति और सशक्तिकरण, आविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स जयपुर, पृ0–142